

## छावनी परिषद, महू छावनी

### सार्वजनिक सूचना

छावनी परिषद महू ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 03.09.2019 के द्वारा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 258 के अन्तर्गत सर्वे क्रमांक 668, गौशाला रोड, महू छावनी को बंद करने के लिये स्थानीय जनता से दावे, आपत्तिया तथा सुझाव आमंत्रित करने का संकल्प लिया है। उक्त संदर्भ मे स्टेशन हेड क्वार्टस महू द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3013/जी.आरडी/क्यू3एल दिनांक 19.12.2018 एवं सम संख्या दिनांक 21.08.2019 द्वारा सुरक्षा कारणों से उक्त रोड को बंद करने का आग्रह किया गया था।

यह कार्यालय, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों (दिनांक 12.09.2019 से 11.10.2019 सांय 5:30 बजे तक) उपर प्रस्तावित अनुसार व्यवस्था के लिये आम जनता से दावे, आपत्तिया तथा सुझाव, यदि कोई हो आमंत्रित करता है। जो कि मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, महू के कार्यालय में नियत दिनांक एवं समय मे प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सभी दावे, आपत्ति/सुझावकर्ताओं द्वारा अपना पुरा नाम, पता एवं दुरभाष नम्बर सहित देना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सूचना छावनी परिषद, महू की website [www.cbmhow.org.in](http://www.cbmhow.org.in) पर उपलब्ध है।

**मनीषा जाट**

(मनीषा जाट)

मुख्य अधिशासी अधिकारी

महू छावनी